आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ 23(80)/लेखा/आकाशि/छा.ऑनलाईन/2019–20/563 दिनांक– 31/10/19

समस्त प्राचार्य/जिला नोडल अधिकारी
राजकीय महाविद्यालय,
राजस्थान

विषय– मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृति योजना 2019–20 बाबत।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृति योजना वर्ष 2019–20 में राज्य सरकार द्वारा नये प्रारम्भ महाविद्यालयों द्वारा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन, कोर्स मैपिंग एवं संबंधित विश्वविद्यालय से सम्बद्धता (Affiliation) का अनुमोदन प्राप्त नहीं करने से छात्रवृति पोर्टल पर महाविद्यालय का नाम प्रदर्शित नहीं हो रहा है। जिससे नये प्रारम्भ महाविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को ऑनलाईन आवेदन में कठिनाई हो रही है।

अतः जिला नोडल अधिकारियों को निदेर्शित किया जाता है कि अपने जिले में नये प्रारम्भ महाविद्यालयों के प्राचार्यों को छात्रवृति पोर्टल पर नाम जुड़वाने में मदद करें एवं विश्वविद्यालय नोडल से Approve करवाया जाना सुनिश्चित करें। जरूरत पड़ने पर रजिस्ट्रार से भी वार्ता करें, साथ ही नये प्रारम्भ महाविद्यालयों का पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन, कोर्स मैपिंग एवं संबंधित विश्वविद्यालय से सम्बद्धता (Affiliation) का अनुमोदन कराने में सहयोग प्रदान करें।

(प्रदीप कुमार बोरड़)
आयुक्त
कॉलेज शिक्षा एवं विशिष्ट शासन सचिव,
उच्च शिक्षा राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ 23(80)/लेखा/आकाशि/छा.ऑनलाईन/2019–20/564 दिनांक– 31/10/19
:प्रतिलिपि–प्रभारी, वेबसाइट को अपलोड हेतु।

(राजकुमार मीना)
वित्तीय सलाहाकार

D:/ Shortcut For Some Folders/ Online Schlorship/